विद्यावार्ता®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
संलग्नित
सर्वोदय शिक्षण संस्थेचे

कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,

कोवाड ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर

राष्ट्रीय सेवा योजना आणि समाजशास्त्र विभाग आयोजित

एक दिवशीय
राष्ट्रीय ऑनलाईन वेबिनार

Dr. Babasaheb Ambedkar's Human Rights, Socio-Economic and Political Thought

Convener
Dr. Khanderaoji S. Kale

Co-convener
Dr. Vithal K. Dalvi

Principal
Dr. Vishnu R. Patil

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

विद्यावार्ता™

Special Issue

Sarvoday Shikshan Sanstha's

Arts, Commerce and Science College, Kowad.

Tal. Chandgad, Dist. Kolhapur (Maharashtra) – 416508

(Affiliated to Shivaji University, Kolhapur)

Re-accredited by NAAC 'B+'

Email : kowad2.cl@unishivaji.ac.in Web : www.acscollegekowad.com

One day National Online Webinar on

Dr. Babasaheb Ambedkar's Human Rights, Socio-Economic and Political Thoughts

Date : 10/04/2022, Day : Sunday

Organized by NSS and Sociology Department under the aegis of IQAC.

Dr. Khanderavaji S. Kale
Cordinator

Dr. V. K. Dalvi
Co- coordinator

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat**.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295

harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

27) DR.BABASAHEB AMBEDKAR'S HISTORIC CONTRIBUTION TO SOCIAL, ...
DR. DHALE GAUTAM NAMDEV, Jaysingpur ||122

28) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदर्श शैक्षणिक भोरण
Dr. Madhukar Vithoba Jadhav, Prof.V.V.Kolkar, Dist-Kolhapur ||128

29) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और समकालीन हिंदी कविता
डॉ. जहीरुद्दिन रफियोद्दिन पठान, जि. नांदेड ||132

30) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व शिक्षण
प्रा.डॉ.सुरेश मारूती चव्हाण, जि.कोल्हापूर –महाराष्ट्र ||136

31) Dr.Babasaheb Ambedkar Role for Women emancipation and Empowerment
Dr. Rita Malache, Mumbai ||139

32) आधुनिक भारताचे निर्माते अर्थतज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
डॉ. काशिनाथ रामचंद्र तनंगे, गडहिंग्लज ||148

33) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य वर्गासाठी केलेले कार्य
विजय तुकाराम हराळ, पुणे ||154

34) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक व शैक्षणिक कार्ये
प्रा.बनसोडे एस.एस., जि.कोल्हापूर ||157

35) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांची मौलिकता
प्रा. डॉ. संजीव सुखलाल बोडखे, जि. सातारा ||160

36) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विविध सत्याग्रह
प्रा. शिंदे ज्योती, पुणे ||163

37) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि बौद्ध धम्म
प्रा.डॉ.जाधव दिलीप रामचंद्रराव, जि.नांदेड ||167

38) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : महिला सशक्तिकरण
डॉ.संजीवनी संदीप पाटील, गडहिंग्लज ||169

39) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषी विषयक विचार
प्रा. डॉ. महेंद्र बापू जाधव, प्रा. श्री. सचिन सोमगोंडा पाटील, गडहिंग्लज ||172

40) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्रियांबद्दलचे कार्य
डॉ. नामदेव एम. हटवार, सालेकसा ||175

http://www.printingarea.blogspot.com
www.vidyawarta.com/03

१९३६ मध्ये मुंबई इलाखा महार परिषद मुंबई येथे भरवली गेली. तेथे 'मुक्ती कौन पथे' या नावाने बाबासाहेबांचे जे भाषण प्रसिद्ध झाले ते भाषण म्हणजे धर्मांतर परिणामाची तात्त्विक मांडणी होय. धर्मांतराच्या घोषणेला यावेळी पाठिंबा मिळाला. येथूनच पुढे धर्मांतराबाबत गांभीर्याने विचार करून नेमका आपल्या अनुयायांना कोणता धर्म स्वीकारल्यास प्रतिष्ठा मिळेल याचे चिंतन बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केले.

महाड सत्याग्रहापासून तर देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्यापर्यंतच्या काळात बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे लढे उभारले त्यातून दलितांना शक्ती आली. मानसिक गुलामगिरीतून निघून पारंपरिक धर्म सोडून देण्याची त्यांची मानसिकता तयारी झाल्याचा प्रत्ययही बाबासाहेबांना आला होता. हिंदू धर्माचा त्याग केल्याशिवाय अस्पृश्यता, सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक गुलामगिरी संपणार नाही म्हणून अतिशय विचारपूर्वक बाबासाहेबांनी धर्मांतराचा निर्णय घेतला. 'धर्म ही अफुची गोळी आहे' हे कम्युनिष्ट तत्त्व त्यांना मान्य नव्हते. धर्म माणसाची अध्यात्मिक उन्नती करतो, त्याला उत्साह देतो म्हणून धर्म आवश्यक आहे असे बाबासाहेबांचे मत होते.

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी आपल्या अनुयायांसह बौद्ध धर्मात प्रवेश करण्याचे ठरले. बुद्धाचा जन्म नागवंशीय व अस्पृश्य ही नागवंशाची भूमी असलेल्या नागपूरमध्ये हा समारंभ आयोजित केला गेला. या समारंभासाठी वयोवृद्ध भन्ते भिक्खू चंदमणी महावीर यांना निमंत्रण दिले. दीक्षा समारंभ नागपूर मुक्कामी ९:३० वाजता सुरू झाला. जवळपास ३ लाख ८० हजार स्त्री–पुरुषांना २० शपथा दिल्या आणि खऱ्या अर्थाने ते माणूस म्हणून जगू लागले. एका माणसाच्या हाकेवर एवढ्या मोठ्या असंख्य अनुयायांनी धर्मांतर करावे ही जगातील अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तनाची घटना होय.

संदर्भ ग्रंथ

१) भीमराव ते बाबासाहेब एक क्रांतीपर्व– पाटील दिनेश
२) प्रमुख भारतीय विचारवंत–डॉ.ना.य. डोळे
३) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर–धनंजय कीर
४) महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास–डॉ.अनिल सिंगारे, डॉ.विठ्ठल घुले
५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर–शंकरराव खरात

38

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : महिला सशक्तिकरण

डॉ.संजीवनी संदीप पाटील
हिंदी विभाग प्रमुख,
कला,वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज

****

प्रस्तावना–

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी ने केवल दलित एवं पिछड़े वर्ग के लिए ही संघर्ष किया ऐसा नहीं बल्कि उन्होंने महिला अधिकारों के लिए भी सार्थक प्रयास किए हैं। आज२१वीं सदी में महिला जो कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है असल में इन सब के हकदार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर की है। डॉ.बाबासाहब जी ने जो राह महिलाओं को दिखाई है आज हम सभी महिलाएं उसी राह से चलने का काम कर रही है। आज महिलाएं अबला बनकर नहीं तो सबला बनकर जी रही है। अब महिलाएं घर की देहरी की लांग कर बाहर आ रही है। अलग–अलग क्षेत्र में अपने जौहर दिखा रही है। परंतु एक समय था कि हमारे देश की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्त्री को केवल भगवान बनाकर रखा गया था। परंपरा एंव खोखले रिवाजों में महिलाएं जकडी थी। अगर डॉ. बाबासाहब जी ने हिंदू कोड बिल नहीं बनाया होता तो शायद आज भी कई महिलाएं केवल घर की चारदीवारी में ही बंद रहती। महिलाओं को आत्म सम्मान के साथ जीने का हौसला और जज्बा देने का काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी ने किया।

मूलशब्द– महिला सशक्तिकरण, हिंदू कोड बिल, धर्म, कानूनी, उन्नति, संविधान।

डॉ.बाबासाहब आंबेडकर – स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक डॉ.भीमराव आंबेडकर जी ने बुद्ध,कबीर,महात्मा फुले

जैसे महान विभूतियों के विचारों को आत्मसात किया था। भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर का जन्म युग और काल की धाराओं को मोडने के लिए ही हुआ था। इस महामानव ने समाज में परंपराओं से चलती आई कुरीतियों जैसे कि छुआछूत, भेदभाव,तिरस्कार का डटकर विरोध किया। वंचितों को समाज में प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। डॉ.बाबासाहब जी का कथन था कि,'मैं चाहता हूं कि लोग सर्वप्रथम भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कुछ भी नहीं'।

१५ अगस्त १९४७ की सुबह हर भारतवासी आजाद था। परंतु भारत की आधी आबादी रुढिवादी बंदिशों में कैद थी। वैसे तो स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं की समानता – अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए गए। म. फुले,सावित्रीबाई फुले जीने स्त्रियों की शिक्षा के लिए पाठशालाएं शुरु की।कई यातनाओं को सहकर इस दंपति ने महिलाओं को पढाने का काम किया। परंतु समानता के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार करने का काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी ने किया। हिंदू महिलाओं को विवाह, तलाक,संपत्ति आदि पर अधिकार होना चाहिए। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए डॉ.बाबासाहब जी ने हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल के केंद्र में हिंदू धर्म का सुधार मुख्य लक्ष्य था। डॉ.आंबेडकर हिंदू धर्म को सुधार कर उसे परिष्कृत रूप देना चाहते थे। उनके शब्दों में, यदि हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को बरकरार रखना है तो जहां इसमें सुधार या संशोधन करना जरूरी हो वहां इसे करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। धर्म और समाज रूपी पानी जो सदियों से एक गहरे कुंड में पडासडता चला आ रहा है,उसे निकालकर उसमें नया जल भरा जाए।१ डॉ.बाबासाहब जी का मानना था कि देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। यदि महिलाएं संगठित हो जाए तो समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान दे सकती है। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए,महिलाओं को शिक्षित करने लिए कठिन परिश्रम किया क्योंकि नारी की शक्ति,संघर्ष,त्याग और बलिदान से वे परिचित थे।जब डॉ.बाबासाहब आंबेडकर जी कार्यकारी परिषद के लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई। संभवत: महिला स्वास्थ्य चिंता को लेकर इतिहास में यह पहली बार दर्ज की गई छुट्टी थी। संविधान के कलम १४ से ३२ के तहत सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए है। यह अधिकार महिलाओं के लिए भी है इसे पहली बार डॉ.आंबेडकर जी ने स्पष्ट किया।

महिला सशक्तिकरण – 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता' अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। स्त्री को एक ओर देवता मानकर पूजा की जाती थी तो दूसरी ओर उसे दु:खों की खान भी माना जाता था। मनुवादी संस्कृति से ग्रसित हमारा समाज स्त्रियों को मूर्ख,कपटी मानता था। साथ ही उन्हें शिक्षा से वंचित भी रखा था।'रात और दिन, कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए,बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करें,स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। ऐसी विचारधारा उस समय के समाज की थी। स्त्री को मनुष्य मानने से ही नकारा गया था।ऐसे में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तो बहुत ही दूर की बात है। डॉ.बाबासाहब जी ने संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष के बीच की दिवार को नष्ट करने का प्रयास किया। जाति और धर्म में सामाजिक न्यायकी कल्पना की। इसी के अनुसार ५ फरवरी १९५१ को डॉ. बाबासाहब जी ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आजाद कराना और समानता का अधिकार दिलाना। हिंदू कोड बिल दो उद्देश्यों पर आधारित था। प्रथम,हिंदू समाज से संबंधित बिखरे हुए विभिन्न कानूनों को एक ही कानून संहिता में एकत्रित करना व उन्हें सुधारना। द्वितीय, हिंदू कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप बनाना। जहां तक पहले उद्देश्य का संबंध है तो यह प्रचलित कानूनों और नियमों के सुधार से संबंधित था।२ संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा हेतु इसे चार भागों में बांट दिया।

१. बहुविवाह प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधिसम्मत हो।

२. महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार देना।

३. पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना।

४. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

परंतु'हिंदू कोड बिल' संसद में पास कराना आसान नहीं था। इस बिल का संसद में विरोध किया गया। इस बिल के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए डॉ. आंबेडकर जी ने कहा, जो लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद १५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में पारित किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म,मूल वंश,जाति,लिंग,जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। पर वर्तमान में जो हिंदू नियम प्रचलित है,वह पुरुष एवं स्त्री के बीच भेद करते हैं। अत: प्रचलित हिंदू नियमों में सुधार न किया गया तो यह भारतीय संविधान के उपबंधों से टकराएगा।३ इस बिल के पारित होने से डॉ.बाबासाहब जी दुखी हो गए थे। उनका कथन है, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने से मिलेगी। लेकिन यह बिल सदन से वापस लिया गया जिस कारण बाबासाहब को काफी सदमा पहुंचा। २७ सितंबर १९५१ को बाबासाहब जी ने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया। अपना मक्सद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ देना निस्वार्थ समाजसेवी की पहचान है। केवल बाबासाहब जैसे महामानव ही ऐसा कर सकते है।

बाबासाहब के इस्तीफा देने के बाद देश भर में हिंदू कोड बिल के पक्ष में खास तौर से महिला संगठनों द्वारा कड़ी प्रतिक्रियादि गयी। विदेशों में भी इस पर प्रतिक्रिया हुई। कुछ साल बाद १९५५–५६ में हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्राविधानों को निम्न भागों में संसद ने पारित किया।

१. हिंदू विवाह अधिनियम

२. हिंदू तलाक अधिनियम

३. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

४. हिंदू दत्तकगृहण अधिनियम

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह श्रेय डॉ. आंबेडकर को ही जाता है। यह उस 'संविधान शिल्पी'के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारतीय समाज में महिलाओं को कई अवसर प्राप्त हुए है। वैसे अब भी कई सामाजिक रूढ़ियां–परंपराएं महिलाओं के रास्ते की रुकावटें हैं। फिर भी मुझ जैसी कई महिलाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी मिली है तो सिर्फ बाबासाहब की वजह से। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माताओं में उनकी अहम भूमिका थी। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद १४ में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्कीही उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। हिंदू कोड बिल के समर्थन में डॉ.आंबेडकर जी का कथन है कि प्रत्येक हिंदू व्यक्तिगत तथा समष्टिगत रूप से समानता और सामाजिक एकता के सूत्र में बंध जाएगा।४ डॉ. आंबेडकर प्राय: कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूं।

लेकिन डॉ. आंबेडकर का सपना सन् २००५ में साकार हुआ जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। पुत्री विवाहित है या अविवाहित इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लड़की को लड़के के ही समान सारे अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉ.आंबेडकर जी ने बहुत सराहनीय काम किया है।

निष्कर्ष — भारत में जब फेमिनिज़ुम यानी नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे कई काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। सर्वत्र संपूर्ण शिक्षा,शिक्षित होकर निर्णय लेने की क्षमता का विकास,राजनीति मुक्त नारी संगठन,आर्थिक स्वावलंबन आदि के कारण आज की नारी हर क्षेत्र में आगे बढ रही है।भारत जब अंग्रेजों की हुकुमत में था तब भी डॉ.राजा राममोहन राय, महर्षि कर्वे, महात्मा फुले ने महिलाओं को उनके अधिकार देने की कोशिश की और उन्हें उनके अधिकार दिए। जबकि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया। महिलाओं के अधिकारों के प्रति डॉ. बाबासाहेब का नजरिया आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी के जीवन में महिलाओं की प्रगति और विकास का कितना महत्व था यह उनके इस कथन से स्पष्ट होता है,'अगर हम किसी समाज की प्रगति को मापना चाहते हैं, तो मैं उस समाज में महिलाओं की प्रगति को मापता हूं.केवल महिलाओं की उन्नति से देश की प्रगति को नापा जा सकता है। यह सत्य जाननेवाले महामानव डॉ.बाबासाहब आंबेडकर जी ही थे। आज हम सभी महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर सकती है इसका श्रेय केवल बाबासाहब जी को ही जाता है।

संदर्भ —

१. शास्त्री सोहनलाल विद्यावाचस्पति,हिंदू कोड विल और डॉ, अम्बेडकर,सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, २००९, पृ.४९

२. बाली.एस.आर,डॉ.अम्बेड्कर और हिंदू कोड विल,भीम पत्रिका पब्लिकेशन,जालंधर,१९८३,पृ.५

३. बाली.एस.आर,अम्बेडकर ने क्या किया? भीम पत्रिका पब्लिकेशन,जालंधर,१९९१,पृ.१८६

४. कीर धनंजय,डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित्र(अनु.गजानन सुर्वे),पाप्युलर प्रकाशन,दिल्ली,१९९६, पृ.३९६—३९७

५. खरे विजय,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा,सुगावा प्रकाशन,पुणे २०१०

६. सं.ब्रिजेश सिंह,आपला आदर्श,आपली प्रेरणा महामानव,शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय,पुणे२०१७

७. https://www.amarujala.com

39

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषी विषयक विचार

प्रा. डॉ. महेंद्र बापू जाधव
कला, वाणिज्ये व विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज

प्रा. श्री. सचिन सोमगोंडा पाटील
कला, वाणिज्ये व विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज

प्रस्तावना —

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. सुरुवातीच्या काळापासूनच भारतीय लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती हाच राहिलेला आहे. प्राचीन काळात विशेषता : वैदिक काळात वैश्य वर्णीयांकडे व्यापार व कृषी विषयक कार्य सोपवलेले दिसून येते. प्राचीन — मध्ययुग व ब्रिटीश काळात शासन व्यवस्थेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख मार्ग जमीन महसूल हेच होत. त्यामुळे बहुतांश राज्यकर्त्यांनी अतिरिक्त शेतसारा भारतीय जनतेकडून वसूल केल्याचे आढळते. त्यामुळे भारतीय शेती व शेतकरी यांची दैन्यावस्था झाल्याचे दिसून येते. भारतीय शेती व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मूलगामी योजना आखून त्या प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचे कार्य करणाऱ्यांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांचे स्थान अग्रभागी आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, अर्थशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, राजनीतिज्ञ, दलितांचे कैवारी, व आधुनिक भारताचे राष्ट्र निर्माते एक प्रखर बुद्धिप्रामाण्यवादी व कृतीशील विचारवंत म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताचा इतिहास, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, व संस्कृती यांची बुद्धिप्रामाण्यवादी भूमिकेतून पुनर्मांडणी केली. सदर शोधनिबंधात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृषीविषयक विचारांचा, त्यांनी कृषी विकासासाठी